

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2782

जिसका उत्तर 20 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है।

29 अग्राहायण, 1945 (शक)

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार

2782. श्री संजय सेठ:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की पंजाब सहित अनुमानित लागत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;
- (ग) क्या यह कार्यक्रम आईटी पेशेवरों के कौशल के विस्तार और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या एमएसएमई के डिजिटल लॉकर एप का भी विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के माध्यम से लोगों को होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाएं और सुविधाएं कौन-सी हैं; और
- (च) सरकार द्वारा देश के प्रत्येक हिस्से में डिजिटल प्रिंट को व्यापक रूप से सुधारने और विस्तारित करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): जी हाँ।

(ख): सरकार ने डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण और डिजिटल विभाजन को पाटकर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम तीन प्रमुख दृष्टिकोणों पर केंद्रित है, अर्थात् प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसर रचना, मांग पर शासन और सेवाएं, और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। समग्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुधार करें, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करें और निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करें। डिजिटल इंडिया ने सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को काफी हद तक कम कर दिया है और सरकार और शासन पर विश्वास बढ़ाया है। इस से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से सीधे लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाने में भी मदद मिली है। इस प्रक्रियामें, भारत अपने नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले दुनिया के प्रमुख देशों में से एक के रूप में उभरा है।

अगस्त 2023 में, सरकार ने 15 वें वित्त आयोग अर्थात् 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान ₹ 14,903.25 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार/प्रसार को स्वीकृति दी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 8 उप-योजनाएँ हैं। परिव्यय सहित योजनाओं का विवरण संलग्न है। ये उप-योजनाएँ केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ हैं, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

(ग): डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना में रोजगार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति के पुनः कौशल/उन्नयन के लिए भावी कौशल प्राइम कार्यक्रम शामिल है जिसे भविष्य के लिए तैयार और उद्योग के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों से निपटने वाले उद्योग के साथ भागीदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार, सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) कार्यक्रम सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन पैदा करने और विभिन्न हितधारकों को कवर करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरूकता पैदा करने के लिए है।

(घ): डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म को एमईआईटीवाई द्वारा निवासियों को डिजिटल रूप से दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिए क्लाउड-आधारित मंच के रूप में शुरू किया गया है। डिजीलॉकर सेवा को एमएसएमई उद्यमों, कॉर्पोरेट संस्थाओं, संगठनों और अन्य गैर-व्यक्तिगत एजेंसियों के लिए एंटीटी लॉकर के रूप में विस्तारित किया जा रहा है, ताकि सुरक्षित और पेपरलेस तरीके से महत्वपूर्ण दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों की आसान पहुंच और सत्यापन किया जा सके, जिससे दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

(ङ): डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रसार/विस्तार के मुख्य लाभानुसार हैं:

- (i) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- (ii) डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना/प्लेटफॉर्मों और डिजिटल समावेशन के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना।
- (iii) शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों और सरकारी संस्थानों को उच्च गति के नेटविटी प्रदान करना।
- (iv) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर में विनिर्माण क्षमताओं और आत्मनिर्भरता के विकास को बढ़ावा देना।
- (v) आईटी क्षेत्र में भारत की ताकत, विघटनकारी नवाचारों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी कालाभ उठाते हुए एक स्थायी सॉफ्टवेयर उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देना।
- (vi) सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि सहित मुख्य और व्यावहारिक क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- (vii) देश में साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक समय में साइबर सुरक्षा स्थिति जन्य जागरूकता पैदा करना।
- (viii) डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और लेन देन में पारदर्शिता लाना।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ प्रमुख सुविधाओं में आधार (डिजिटल पहचान), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (डिजिटल भुगतान), डिजीलॉकर (पेपरलेस गवर्नेंस), उमंग (मोबाइल गवर्नेंस), एपीआई सेतु (डेटा एक्सचेंज), कोविन (टीकाकरण मंच), सरकारी ई-मार्केट प्लेस (सार्वजनिक खरीद), दीक्षा (डिजिटल शिक्षा), ई-संजीवनी (डिजिटल हेल्थकेयर) आदि शामिल हैं।

(च): डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के अलावा, सरकार बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0, इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस), इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर 2.0, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन विनिर्माण आदि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास सहित भारत अर्धचालक मिशन के माध्यम से उत्पादन, रोजगार बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए

विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) नए केंद्र/विस्तार केंद्र खोलकर कौशल/पुनः कौशल के दायरे का विस्तार करेगा। इन पहलों से डिजिटल पदचिह्न में सुधार होगा और भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार का विस्तार होगा।

\*\*\*\*\*

## अनुबंध

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित परिव्यय का योजना-वार विवरण इस प्रकार है:

| क्र.सं.            | उप-योजनाकानाम  | अनुमोदितपरिव्यय<br>5 वर्षोंकेलिए<br>(₹करोड़में) |
|--------------------|--|---|
| 1.                 | क्षमतानिर्माणएवंकौशलविकास  | 2,858.00  |
| 2.                 | इलेक्ट्रॉनिकगवर्नेंस   | 2,328.27  |
| 3.                 | राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन)   | 1,645.52  |
| 4.                 | इलेक्ट्रॉनिक्सऔरआईटीहार्डवेयरविनिर्माणकोबढ़ावादेना                                 | 628.10  |
| 5.                 | आईटीऔरआईटीईएसउद्योगोंकोबढ़ावादेना  | 828.00  |
| 6.                 | आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्सऔरकन्वर्जेंस<br>संचारऔरब्रॉडबैंडटेक्नोलॉजीजमेंअनुसंधानएवंविकास | 4,431.46  |
| 7.                 | साइबर सुरक्षा परियोजनाएँ (राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र और अन्य)                   | 2,034.00  |
| 8.                 | डिजिटलभुगतानकोबढ़ावा#  | 149.90  |
| <b>कुलपरिव्यय:</b> |  | <b>14,903.25</b>                                |

# - योजनादिनांक 17.07.2023सेवित्तीयसेवाविभाग (डीएफएस), वित्तमंत्रालयकोहस्तांतरितकरदीगई।

\*\*\*\*\*